

**बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग**

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/अ0-03-07/2019

पटना, दिनांक:—

श्री सुकेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 06.06.2025 से 20.06.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-15=285) (दो सौ पचासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-07/2019 2341 पटना, दिनांक:- 09/06/25

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0 (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुकेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।